न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 2/2019 Gcms No. 2019/00191
दायरा तिथि : 03.01.2019
निर्णय दिनांकः 21-10-22

वादीगण :–

1. रताराम गोद पुत्र वगतारामजी
2. नेमाराम पुत्र हिन्दुजी
3. पुनीबाई पत्नि हिन्दुजी
4. स्वर्गीय हकाराम पुत्र हिन्दूजी के वारिसः हिम्मताराम पुत्र हकारामजी
5. खंगाराराम पुत्र दलाजी
6. नरिंगाराम पुत्र कूपाजी
7. शिवलाल पुत्र कूपाजी
8. श्रीमति सुखी पुत्री हीराजी
9. श्रीमति टीपू पत्नि स्व0 हीराजी तमाम जाति से जणवा चौधरी
   निवासीगण–पातावा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी ..... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 21-10-22

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत कर ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 226/3 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 227/1 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 230 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 50 बीघा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर को भू0प्रबन्ध कर्मचारियो द्वारा मौका स्थिति के विपरित त्रुटिपुर्ण रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज किये जाने से दुरस्ती के माध्यम से सेवाडी के हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर की खातेदारी घोषणा के साथ प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधारा यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बाली के गत् खसरा नंबर 226/3 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 227/1 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 230 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 50 बीघा वादी संख्या 01 के पिता वगता, वादी संख्या–02 के पिता 3 के पति व 4 के दादा हिन्दु, वादी संख्या–05 स्वयं खंगारा व वादी संख्या 06, 07 के पिता कूपा, वादी संख्या 08 के पिता व 09 के पति हीरा के संयुक्त खातेदारी की दर्ज थी। जो **हाल सैटलमेंट के पुर्व पांचो भाई वगता, हिन्दु, कूपा, खंगारा, हीरा पुत्रगण दलाजी के बहिस्सा बराबर** खातेदारी में दर्ज थी। वादीगण के पुर्वजो के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के हाल खसरा नंबर 954, 955, 956, 957, 958, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972 बने है। सैटलमेंट के पुर्व आपसी पारिवारिक मौखिक बंटवाडा होने से भू0प्रबन्ध बाद के लेखो में निम्नानुसार भूमि अधिकार अभिलेखों में दर्ज होना बतायाः–

भूमि विवरण		**खातेदार जिसके नाम दर्ज की गई**
खसरा नंबर	रकबा	
954	1.03 हैक्टर	वादी संख्या 06 से 09 के पिता व पति कुपा, हीरा पिसरान् दला के नाम खातेदारी दर्ज की गई।
955	0.83 हैक्टर	
965	0.61 हैक्टर	
968	0.59 हैक्टर	
966	0.01 हैक्टर	
967	0.05 हैक्टर	
06	3.12 हैक्टर	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

पेज ल.....02

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 2/2019 Gcms No. 2019/00191

अनवान रताराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956

भूमि विवरण		**खातेदार जिसके नाम दर्ज की गई**
खसरा नंबर	रकबा	
956	0.84 हैक्टर	वादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज वगता, हिन्दू व वादी संख्या–05 खंगारा के नाम खातेदारी दर्ज की गई।
957	0.78 हैक्टर	
958	0.70 हैक्टर	
969	1.07 हैक्टर	
970	1.12 हैक्टर	
971	0.01 हैक्टर	
972	0.07 हैक्टर	
07	4.59 हैक्टर	

इस प्रकार भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों मे दो खातो में (3.12+4.59)=7.71 हैक्टर भूमि वादीगण के पुर्वजो के नाम दर्ज हुई। जिसका रकबा बीघो में 48 बीघा 03 बिस्वा ही होता है, जबकि भू0प्रबन्ध पुर्व के रेकर्ड में रकबा 50 बीघा था, इस प्रकार भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में **01 बीघा 17 बिस्वा यानि 0.29 हैक्टर** भूमि वादीगण के **खातेदारी में कम दर्ज** की गई। जबकि मौके पर वादीगण 50 बीघा के तूल्य 8.00 हैक्टर भूमि पर पुश्तैनी काबिज काश्त है। वादीगण ने अपने वाद में आगे यह वर्णित किया कि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि व बेरे तक आने जाने के लिये निजी उपयोग हेतु छोडे गये रास्ते को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तौर से राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज करने से पडौस के खातेदारो की शिकायत पर प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार, बाली ने हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0. 29 हैक्टर वादीगण की निजी सामग्री को हटाने की धमकी दी गई। जिससे वादीगण के पास उक्त वाद प्रस्तुती के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से वादीगण ने अपनी पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.29 हैक्टर की दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2023 से 2026, रजिस्ट्री दिनांक 01.06.1960 की फोटो प्रति, पुराना नक्शा की फोटो प्रति, प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल, जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 जो नेट से निकाली हुई कम्प्युटर कांपी, चालू जमाबदी व नक्शा ट्रैस जो पटवारी हल्का, सेवाडी से जारी किये गये। पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा दिनांक 18.09.2018 को जारी नोटिस की प्रति, खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रमाणित प्रतिलिपी, नया नक्शा ट्रैस की फोटो प्रति पेश किये गये। वादीगण के वादपत्र का जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, बाली द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट के जरिये प्रस्तुत किया गया। जो तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का, सेवाडी व तहसीलदार, बाली ने बिन्दुवार निम्नानुसार पेश कीः–

1. दावा में वर्णित बिन्दु संख्या–01 वादी से सबंधित है।
2. राजस्व रेकार्ड के अनुसार यह सही हैं कि भू0प्रबन्ध से पूर्व वादीगणो के पूर्वजो के नाम गत् रेकर्ड में कुल 50 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज थी, किन्तु भू0प्रबन्ध मौके के अनुसार सही हुआ था ग्राम सेवाडी के हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर गै.मु. रास्ता रेकर्ड में दर्ज है जो राजस्व नक्शो में भी अंकित है तथा मौके पर भी रास्ता हैं, हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर गै.मु. रास्ता का मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत् खसरा नंबर 230 था।
3. वादीगण ने वाद में स्वीकार किया हैं कि खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता का उपयोग रास्ते के रूप में ही होता था, इस प्रकार भू0प्रबन्ध में खसरा नंबर 973 को गै.मु. रास्ता दर्ज कर कोई गलत कार्यवाही नहीं की है, मौके की आवश्यकता एवं मौके पर रास्ता होने के कारण ही खसरा नंबर 973 गै.मु. रास्ता दर्ज है। जिससे वाद द्वारा खसरा नंबर 973 मेंसे 0.29 हैक्टर रास्ता की भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज कराने का वाद न्याय संगत नहीं है।
4. वर्तमान में मौके पर वादीगणो द्वारा अपनी खातेदारी खसरा नंबर 971 से 970/1 की माठ से लगते हुये खसरा नंबर 973 गै.मु. रास्ता की माठ के सहारे–सहारे लगभग 41X11= 451 वर्गमीटर भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, व आवागमन के लिए 4 फीट रास्ता छोडा हुआ, खसरा नंबर 973 का शेष भाग मौके पर रास्ता खुला है। अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा दिनांक 14.07.2021 को मौके पर बनाई मौका फर्द की प्रति भी पेश की गई।

न्यायालय उप - खण्ड ... बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार 03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

दावे व जवाबदावो के आधार पर प्रकरण में पृथक से वाद बिन्दु कायम करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की मौखिक साक्ष्य के लिये रखा गया। वादी पक्ष को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये एक वर्ष की अवधि तक कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के उपरान्त मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये। तथा दिनांक 27.09.2022 को वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती का ही होने से बहस का अनुरोध किया गया। जिस पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं विद्वान् वकील वादीगण श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस के दौरान् दी गई दलीलो एवं इनके खण्डन स्वरूप पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दिये गये तर्को पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम सेवाडी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है, उक्त भूमि मेंसे वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित 0.29 हैक्टर को वादीगण द्वारा भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राजो के अनुसार वादीगण के निजी खातेदारी में दर्ज किये जाने की दलील दी जा रही है। अपनी दलीलो में मुख्य आधार यह बताया गया कि भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में वादीगण के पुर्वजो के खातेदारी में 50 बीघा भूमि दर्ज थी। जबकि भू0प्रबन्ध कार्यवाही के बाद के अधिकार अभिलेखों में वादीगण के पुर्वजो के नाम 48 बीघा 03 बिस्वा के तुल्य भूमि दो खातो में (3.12+4.59)=7.71 हैक्टर भूमि ही दर्ज की गई है, जबकि 50 बीघा का रकबा 8.00 हैक्टर के तूल्य होता है, जिसके अनुसार (8.00–7.71)= 0.29 हैक्टर भूमि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तौर से वादीगण के पुर्वजो की खातेदारी से कम करते हुये खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर में सम्मिलित करते हुये गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुये राजकीय सिवायचक दर्ज कर दी है। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही अधिकार क्षैत्र से परे होने से खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर मेंसे 0.29 हैक्टर वादीगण के नाम पुनः दर्ज की जावे। विद्वान वकील वादीगण इस तथ्य को भलीभॉति जानते है कि भू0प्रबन्ध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौके की स्थिति के अनुसार गत् रेकर्ड से हाल रेकर्ड का संधारण करते है। तथा प्रकरण यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा जिस भूमि सेवाडी के हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुये राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज की गई है, वह संपुर्ण भूमि मौके पर रास्ते के तौर पर ही उपयोग में लाई जा रही है। इस प्रकार भू0प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो /कर्मचारियो द्वारा मौका स्थिति के अनुसार इन्द्राज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। हॉ इतना अवश्यक हैं कि वादीगण के निजी खातेदारी के रकबा में कमी हुई है, परन्तु मौके पर वर्णित भूमि का उपयोग रास्ता प्रयोजन ही हो रहा है। वादीगण द्वारा उक्त वाद के माध्यम से सैटलमेंट के पुर्व के अधिकार अभिलेखों में अपने पुर्वजो के नाम दर्ज 50 बीघा खातेदारी भूमि को आधार बनाते हुये इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से गै.मु. रास्ता की भूमि को निजी खातेदारी में दर्ज किये जाने की मांग न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। क्योंकि पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा तैयार मौका फर्द जो जवाबदावा के साथ प्रस्तुत की गई है, उसके अवलोकन से स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि वादीगण द्वारा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 973 की भूमि में अपनी खातेदारी खसरा नंबर 971 से 970/1 की माठ से लगते हुये खसरा नंबर 973 गै.मु. रास्ता की माठ के सहारे–सहारे लगभग 41X11= 451 वर्गमीटर भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, व आवागमन के लिए 4 फीट रास्ता छोडा है, तथा खसरा नंबर 973 का शेष भाग मौके पर रास्ता खुला है। इस प्रकार गै.मु. रास्ता की भूमि को खातेदारी दर्ज करवाकर अप्रत्यक्ष तौर पर गै.मु. रास्ता में वादीगण अवरोध उत्पन्न करना चाहते है, जिसकी अनुमति विधि के प्रावधान प्रदान नहीं करते है।

अतः ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता मेंसे वादपत्र के साथ प्रस्तुती नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग 0.29 हैक्टर बाबत् वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री शाश्वत स्त्रिल नानी)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 21-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
:—

1. रताराम गोद पुत्र वगतारामजी
2. नेमाराम पुत्र हिन्दुजी
3. पुनीबाई पत्नि हिन्दुजी
4. स्वर्गीय हकाराम पुत्र हिन्दूजी के वारिसः हिम्मताराम पुत्र हकारामजी
5. खंगाराराम पुत्र दलाजी
6. नरंगाराम पुत्र कूपाजी
7. शिवलाल पुत्र कूपाजी
8. श्रीमति सुखी पुत्री हीराजी
9. श्रीमति टीपू पत्नि स्व0 हीराजी तमाम जाति से जणवा चौधरी
   निवासीगण—पातावा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :—

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 2/2019 Gcms No. 2019/00191

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 973 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता मेंसे वादपत्र के साथ प्रस्तुती नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग 0.29 हैक्टर बाबत् वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-10-22 को जारी किया गया।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)